उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

UPRVUNL

संख्याः 1086/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2012–43–मा0सं0(04)/2008(टी0सी0–2) दिनांक 23 अगस्त, 2012

मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
सोनभद्र/झाँसी/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।

विषयः–किसी माह के प्रथम दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन ने अपने आदेश सं0 3–493/दस–2011 दिनांक 25.07.2011(प्रति संलग्न) द्वारा किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किए है। इन आदेशों में यह भी उल्लिखित है कि प्रशनगत व्यवस्था मार्च माह की पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू नही होंगी।

उपरोक्त व्यवस्था को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों पर भी लागू किए जाने हेतु प्रश्नगत शासनादेश को एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

संख्याः 1086 (1) मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, कारपोरेट स्ट्रेटिजी/मा0सं0(02/03)/मा0सं0/चिकित्सा/वित्त/वित्त एवं लेखा/पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
6. उपमहाप्रबन्धक/अधी0अभि0(मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/(प्रशिक्षण/औ0सं0/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ ।
7. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग; उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

आज्ञा से,

(एम0डी0 मिश्र)
उप सचिव (मा0सं0–04)

संख्या–सा–3–493 / दस–2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,कोषागार,
उ0प्र0,लखनऊ।
(2) निदेशक,
पेंशन निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2011

विषयः– किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

पेंशनर संगठनों एवं पेंशनरों द्वारा यह मॉग की जाती रही है कि किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को किये जाने संबंधी व्यवस्था के अनुसार किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू की जाय।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किया जाय। यह व्यवस्था माह मार्च की पेंशन के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगी।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों से सेवा पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सेवा पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों, सैन्य पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरों अन्य राज्यों के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों आदि पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

भवदीय,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या–सा–3–493(1) / दस–2011तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी),प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उ0प्र0शासन।
(3) समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(4) महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
(5) प्रमुख सचिव,वित्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।
(6) निदेशक,पेंशन,उत्तराखण्ड,देहरादून।
(7) निदेशक,कोषागार,उत्तराखण्ड,देहरादून।

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव